(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उप–खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 32 / 2025–26
नई दिल्ली, दिनांकः 24th सितम्बर, 2025

विषयः सेकेंड जेनरेशन (2जी) एथेनॉल की निर्यात नीति के संबंध में।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची–II (निर्यात नीति) के तहत आइटीसी (एचएस) कोड 22072000 के अंतर्गत अतिरिक्त नीतिगत शर्त को निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से शामिल करते हुए दिनांक 22 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 62 / 2015–20 को संशोधित करती हैः

आइटीसी (एचएस) कोड एवं विवरण	निर्यात नीति	अतिरिक्त निर्यात नीतिगत शर्त
22072000 – एथाइल अल्कोहल और अन्य किसी भी स्ट्रेंथ की स्पिरिट्स, डिनैचर्ड	प्रतिबंधित	सेकेंड जेनरेशन (2जी) इथेनॉल का निर्यात – अर्थात् सेल्युलोसिक सामग्री जैसे खोई, लकड़ी का अपशिष्ट, अन्य नवीकरणीय संसाधन, औद्योगिक अपशिष्ट, लिग्नोसेल्युलोसिक फीडस्टॉक (उदाहरण के लिए कृषि और वानिकी अवशेष जैसे चावल और गेहूं का भूसा, मक्का और चारा, खोई, लकड़ी का ईंधन), गैर–खाद्य फसलें (उदाहरण के लिए घास, शैवाल) और अपशिष्ट प्रवाह के माध्यम से उत्पादित इथेनॉल, और कम सीओ2 उत्सर्जन या उच्च जीएचजी कमी वाले और जो भूमि उपयोग के लिए खाद्य फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं और आइएस 15464 विनिर्देशों (समय–समय पर संशोधित) को पूरा करते हैं – को ईंधन और गैर–ईंधन प्रयोजन के लिए अनुमति दी जाती है, जो कि संबंधित सक्षम प्राधिकारी से वैध निर्यात प्राधिकार–पत्र और फीडस्टॉक प्रमाणन के अधीन है।

इस अधिसूचना का प्रभावः सेकेंड जेनरेशन (2जी) एथेनॉल के निर्यात हेतु अतिरिक्त नीतिगत शर्त तत्काल प्रभाव से अधिसूचित की जाती है।

(अजय भादू)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

[फा.सं. 01 / 91 / 180 / 21 / एएम18 / ईसी / खंड–II / ई–फाइल / ई–18994 से जारी]